



भारतीय रिज़र्व बैंक  
RESERVE BANK OF INDIA  
www.rbi.org.in

---

आरबीआई/2011-12/76

डीसीएम(नोट विनिमय)सं. जी -1/08.07.18/2011-12

1 जुलाई 2011

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

सरकारी और निजी क्षेत्र के सभी बैंक, विदेशी बैंक एवं राज्य सहकारी बैंक

महोदया / महोदय

**मास्टर परिपत्र – नोटों तथा सिक्कों को बदलने की सुविधा**

कृपया नोटों तथा सिक्कों के विनिमय की सुविधा संबंधी 1 जुलाई 2010 का हमारा मास्टर परिपत्र डीसीएम(नोटविनिमय)सं.जी-43/08.07.18/2010-11 देखें। आपकी सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए मास्टर परिपत्र की प्रतिलिपि हमारी वेबसाइट [www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in) पर उपलब्ध है।

भवदीय

(डॉ. एन. कृष्ण मोहन )

मुख्य महाप्रबंधक